



संख्या-87/2026/766/सैंतीस-2-2026/001-1(2)/2020-1373734

प्रेषक,

रवीन्द्र प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-13 अप्रैल, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-05/बजट/29(5)/30/13/2026-27, दिनांक-06.04.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के निम्नलिखित मानक मदों में कुल ₹0-154917.93 लाख (रूपये पन्द्रह अरब उन्चास करोड़ सत्रह लाख तिरान्नवे हजार मात्र) की धनराशि अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
01-वेतन	90662.11
02-मजदूरी	60.00
03-मंहगाई भत्ता	58930.37
04-यात्रा व्यय	60.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10.00
06-अन्य भत्ते	25.00
07-मानदेय	3.00
08-कार्यालय व्यय	16.44
09-विद्युत देय	600.00
10-जलकर/जलप्रभार	300.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	6.15
12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण	6.65
13-टेलीफोन पर व्यय	15.30
15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	120.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	202.00
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	75.00
18-प्रकाशन	0.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.50
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	1.00
29-अनुरक्षण	22.00
39-औषधि तथा रसायन	350.00
40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	6.00
42-अन्य व्यय	113.79
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	400.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.50
45-अवकाश यात्रा व्यय	2.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	131.50
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	22.00
49-चिकित्सा व्यय	500.00
51-वर्दी व्यय	1.00
55-मकान किराया भत्ता	2260.12
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	14.00
योग-	154917.93

(रूपये पन्द्रह अरब उन्चास करोड़ सत्रह लाख तिरान्नवे हजार मात्र)

- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय।
- विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
- यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित किया जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।
- मानक मद 29-अनुरक्षण में स्वीकृत धनराशि का आहरण करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक-26 अगस्त, 2014 के प्राविधानों के अनुसार कार्यदायी संस्था से प्राप्त आगणन का मूल्यांकन एवं परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करा ली जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

8. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 में दिये गये निर्देशानुसार निर्माण कार्यो हेतु निर्मित आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने व कार्यदायी संस्था का निर्धारण कराने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण कार्यो हेतु किया जायेगा।
9. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ०प्र० भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ०प्र० प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
10. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्षक: 2403000010300 (निदेशालय)**

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	015	2403000010300 निदेशालय	01 वेतन	9,06,62,11,000 (रुपये नौ अरब छह करोड़ बासठ लाख ग्यारह हजार मात्र)
2	015	2403000010300 निदेशालय	02 मजदूरी	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
3	015	2403000010300 निदेशालय	03 मंहगाई भत्ता	5,89,30,37,000 (रुपये पाँच अरब नवासी करोड़ तीस लाख सैंतीस हजार मात्र)
4	015	2403000010300 निदेशालय	04 यात्रा व्यय	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
5	015	2403000010300 निदेशालय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
6	015	2403000010300 निदेशालय	06 अन्य भत्ते	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
7	015	2403000010300	07	3,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		निदेशालय	मानदेय	(रुपये तीन लाख मात्र)
8	015	2403000010300 निदेशालय	08 कार्यालय व्यय	16,44,000 (रुपये सोलह लाख चौवातीस हजार मात्र)
9	015	2403000010300 निदेशालय	09 विद्युत देय	6,00,00,000 (रुपये छह करोड़ मात्र)
10	015	2403000010300 निदेशालय	10 जलकर / जल प्रभार	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
11	015	2403000010300 निदेशालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	6,15,000 (रुपये छह लाख पन्द्रह हजार मात्र)
12	015	2403000010300 निदेशालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6,65,000 (रुपये छह लाख पैंसठ हजार मात्र)
13	015	2403000010300 निदेशालय	13 टेलीफोन पर व्यय	15,30,000 (रुपये पन्द्रह लाख तीस हजार मात्र)
14	015	2403000010300 निदेशालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,20,00,000 (रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र)
15	015	2403000010300 निदेशालय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2,02,00,000 (रुपये दो करोड़ दो लाख मात्र)
16	015	2403000010300 निदेशालय	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र)
17	015	2403000010300 निदेशालय	18 प्रकाशन	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
18	015	2403000010300 निदेशालय	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
19	015	2403000010300 निदेशालय	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
20	015	2403000010300 निदेशालय	29 अनुरक्षण	22,00,000 (रुपये बाईस लाख मात्र)
21	015	2403000010300 निदेशालय	39 औषधि तथा रसायन	3,50,00,000 (रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र)
22	015	2403000010300	40	6,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		निदेशालय	औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	(रुपये छह लाख मात्र)
23	015	2403000010300 निदेशालय	42 अन्य व्यय	1,13,79,000 (रुपये एक करोड़ तेरह लाख उनासी हजार मात्र)
24	015	2403000010300 निदेशालय	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)
25	015	2403000010300 निदेशालय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
26	015	2403000010300 निदेशालय	45 अवकाश यात्रा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
27	015	2403000010300 निदेशालय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,31,50,000 (रुपये एक करोड़ इकतीस लाख पचास हजार मात्र)
28	015	2403000010300 निदेशालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	22,00,000 (रुपये बाईस लाख मात्र)
29	015	2403000010300 निदेशालय	49 चिकित्सा व्यय	5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)
30	015	2403000010300 निदेशालय	51 वर्दी व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
31	015	2403000010300 निदेशालय	55 मकान किराया भत्ता	22,60,12,000 (रुपये बाईस करोड़ साठ लाख बारह हजार मात्र)
32	015	2403000010300 निदेशालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	14,00,000 (रुपये चौदह लाख मात्र)
	कुल			15,49,17,93,000 (रुपये पन्द्रह अरब उनचास करोड़ सत्रह लाख तिरानबे हजार मात्र)

महायोग	15,49,17,93,000 (रुपये पन्द्रह अरब उनचास करोड़ सत्रह लाख तिरानबे हजार मात्र)
--------	---

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)

संयुक्त सचिव।

पु0सं0-87/2026/766(1)/सैंतीस-2-2026/001-1(2)/2020-1373734, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं संबंधित जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।